संख्या-17/973/74-14-19(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग

लखनऊः:दिनांक 04 अगस्त, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-267-सी0/सेरी0/आयोजनेत्तर/बजट मांग/2014-15, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" में प्राविधानित धनराशि रू0 176621 हजार (रूपए सत्रह करोड़ छियासठ लाख इक्कीस हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-432/74-2014-19(ब)/2013, दिनांक 7 अप्रैल, 2014 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी धनराशि रू0 58864 हजार (रूपए पाँच करोड़ अट्ठासी लाख चौसठ हजार मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 117757 हजार (रूपए ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मद संख्या-14-मोटर गाडियों का क्रय के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि रू0 1547 हजार (रूपए पन्द्रह लाख सैतालीस हजार मात्र) को स्थगित रखते हुए शेष धनराशि रू0 116210 हजार (रूपए ग्यारह करोड़ बासठ लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रावधानित धनराशि 2014-15	प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) हेतु अवमुक्त की जा चुकी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	वेतन	72464	24154	48310
02	मजदूरी	1200	400	800
03	महंगाई भत्ता	76087	25362	50725
04	यात्रा व्यय	800	266	534

http://sirasamadesh.up.nic.in

05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	600	200	400
06	अन्य भत्ते	9862	3287	6575
07	मानदेय	100	33	67
08	कार्यालय व्यय	700	233	467
09	विद्युत देय	735	245	490
10	जलकर/जल प्रभार	200	66	134
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	500	166	334
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	266	534
13	टेलीफोन पर व्यय	350	116	234
14	मोटर गाडियों का क्रय	2320	773	----
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2793	931	1862
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	33	67
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	110	36	74
19	विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	100	33	67
22	आतिथ्य व्यय /व्यय विषयक भत्ता	50	16	34
29	अनुरक्षण	1500	500	1000
42	अन्य व्यय	600	200	400
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	2000	666	1334
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300	100	200
45	अवकाश यात्रा व्यय	100	33	67
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय	300	100	200
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	400	133	267
49	चिकित्सा व्यय	1500	500	1000
51	वर्दी व्यय	50	16	34
	योग	**176621**	**58864**	**116210**

(रूपये ग्यारह करोड़ बासठ लाख दस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति / सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय-विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) उक्त स्वीकृति धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन /दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 स्वयं जिम्मेदार /उत्तरदायी होंगे।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक " 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://sirsanadesh.up.nic.in